न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 26/2016

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मनीष नागर पुत्र कन्हैयालाल नागर (मौके पर मौजूद विक्रेता) निवासी गुना रोड पेट्रोल पम्प के सामने नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारॉ मैसर्स शिवम किराना स्टोर, गुना रोड पेट्रोल पम्प के सामने नाहरगढ जिला बारॉ
2. श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम किशोर, मैसर्स शिवम टी कम्पनी, हॉस्पिटल रोड बारॉ (निर्माता)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 19.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.2.2016 को मैसर्स शिवम किराना स्टोर, गुना रोड पेट्रोल पम्प के सामने नाहरगढ जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मनीष नागर पुत्र कन्हैयालाल नागर **(विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 23.2.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (खत्री)** 250 ग्राम के पौलिपेक मे लगभग 20 पोलिपेक विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (खत्री)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **चाय पत्ती (खत्री)** विक्रेता से 250 ग्राम पौलिपेक 8 पैकेट कुल 2 किलो वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री मनीष नागर पुत्र कन्हैयालाल नागर को 520/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **चाय पत्ती (खत्री)** 250 ग्राम के 8 पैकेट 2 किलो मूल को अलग–अलग चार नमूना भाग मे कर लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–577 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मनीष नागर पुत्र कन्हैयालाल नागर ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/122 दिनांक 31.3.2016 से ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 377/Act/2016/1118 दिनांक 18.3.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (खत्री)** 250 ग्राम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य पदार्थ का क्रय बिल एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वंय का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 5.12.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (खत्री)** 250 ग्राम पोलिपेक का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि 1. मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर मे खाद्य पदार्थ की खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 18.3.2016 मे खाद्य पदार्थ की नमूना जांच उपरांत खाद्य पदार्थ चाय को मानक अनुरूप मानकर मिथ्याछाप बाबत राय दी है, जो अस्पष्ट एवं आधारहीन है एवं खाद्य सुरक्षा मानक (पेकेजिंग और लेबलिंग) विलियम 2011 से असंगत होने से अमान्य एवं अस्वीकार है। खाद्य विश्लेषक

रिपोर्ट दिनांक 18.3.2016 मे खाद्य पदार्थ चायपत्ती (खत्री) को अमानक नही माना, चायपत्ती के पेकिंग एवं लेबल पर अंकित दिनांक छोटे अक्षरों व निर्माता कम्पनी शिवम टी खत्री धर्मशाला के पास बारॉ को अपूर्ण एवं विरोधाभासी मानकर मिथ्याछाप का परिवाद पेश किया गया है जो काबिल संज्ञान नही है। अभियुक्त क्रम 1 के विरूद्व प्रस्तुत परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और मानक खाद्य सुरक्षा और मानक (पेकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 के प्रावधानो नियमों एवं प्रक्रिया से असंगत होने से निरस्तनीय है। पैकिंग पर वर्णित पता पूर्ण पता है खत्रीयो की धर्मशाला बारॉ शहर मे एक प्रसिद्व धर्मशाला है। जिसको बारॉ नगर के सभी नगरवासी जानते है। लेबल पैकिंग पर वर्णित पते को विश्लेषण रिपोर्ट मे अपूर्ण पता बताया है, जो काबिल संज्ञान नही है। विश्लेषण रिपोर्ट की जानकारी के उपरांत विश्लेषण रिपोर्ट क्रम 3 की क्रम 4 व 7 मे वर्णित लेबल की कमियो को दुरूस्थ कर दिया है। अभियुक्त का लघु उद्योग व्यापार है। जिसे स्वरोजगार के तहत प्रारम्भ किया है। अभियुक्त क्रम 2 खाद्य सुरक्षा एवं मानक सुरक्षा अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना करने हेतु सम्यक तत्पवर एवं कटिबद्व है। अभियुक्त क्रम 1 मैसर्स शिव किराना स्टोर के नाम से ग्राम नाहरगढ मे खुदरा व्यापार करता है। अभियुक्त क्रम 1 ने अभियुक्त क्रम 2 चायपत्ती का निर्माता है। अभियुक्त क्रम 1 ने अभियुक्त क्रम 2 से क्रय किये चायपत्ती (खत्री) के पैकिट को उसी स्थिति मे बेचा है जिस स्थिति मे खरीदा है। अभियुक्तगणो को चायपत्ती (खत्री) पैकिटो के लेबल पर पैकिंग दिनांक से 12 माह छोटे अक्षरो मे लिखा होना मिस ब्राण्ड होने की जानकारी नही थी। बाद जानकारी अभियुक्त क्रम 1 ने पैकिंग दिनांक से 12 माह को पैकिंग लेबल पर बडा अंकित करवा दिया है। चायपत्ती (खत्री) के पैकिंग लेबल पर लिखा पता खत्री धर्मशाला पूर्ण पता है खत्री धर्मशाला बारॉ शहर की प्रसिद्व धर्मशाला है जिसे बारॉ नगर के सभी नागरिक जानते है और अभियुक्त क्रम 2 के सभी व्यापारिक संव्यवहार एवं पत्र आदि भी डाक से इसी पते पर आते है। अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 377/Act/2016/1118 दिनांक 18.3.2016 के बाद अप्रार्थी को चाय पत्ती (खत्री) की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (खत्री)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को 2000/— रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 2 को 6000/— रूपये इस प्रकार कुल जुर्माना राशि 8,000/—रूपये अक्षरे आठ हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)